उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 02 श्रावण, शक संवत्, 1931
(दिनांक : 24 जुलाई, 2009)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।
3. निधन के निदेश।
4. मुख्यमंत्री, दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल, 2004 को हरिद्वार में पुलिस एवं जनता के मध्य हिंसा एवं तत्पश्चात हुए संघर्ष एवं उच्श्रृंखल व्यवहार की घटनाओं की जाँच हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री इरशाद हुसैन जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
7. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
8. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
9. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

   (कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)
10. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
11. वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

    (1) शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित अनुदान पर चर्चा (क्रमागत) एवं मतदानः-

    31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 21223902 हजार (दो हजार एक सौ बाईस करोड़ उन्तालीस लाख दो हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(8) पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 549968 हजार (चौवन करोड़ निन्यानवे लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी "घ")

(9) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 3178536 हजार (तीन सौ सत्रह करोड़ पचासी लाख छत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी "घ")

(10) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14, सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 168169 हजार (सोलह करोड़ इक्यासी लाख उन्हत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी "घ")

(11) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 3693853 हजार (तीन सौ उनहत्तर करोड़ अड़तीस लाख तिरपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी "घ")

12. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

13. राज्य में गाड़-गदेरों पर पैदल पुलों के निर्माण व मरम्मत हेतु बजट प्राविधान न होने के कारण जनता को हो रही कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2009 को दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का नियम 53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

14. जनपद अल्मोड़ा में भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय में वर्षों से कार्यरत कनिष्ठ प्रवक्ता/विजिटिंग प्रशिक्षक नियत वेतन, संविदारत कर्मियों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री मनोज तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2009 को दी गई सूचना पर मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 24 जुलाई, 2009

(महेश चन्द्र)
सचिव।

(2) पेयजल मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 3021379 हजार (तीन सौ दो करोड़ तेरह लाख उन्यासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **"घ"**)

(3) श्रम मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 347809 हजार (चौंतीस करोड़ अठहत्तर लाख नौ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **"घ"**)

(4) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 57270 हजार (पांच करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **"ङ"**)

(5) राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2915242 हजार (दो सौ इक्यानवे करोड़ बावन लाख बयालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **"घ"**)

(6) खाद्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 156634 हजार (पन्द्रह करोड़ छियासठ लाख चौंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **"घ"**)

(7) आबकारी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 51359 हजार (पांच करोड़ तेरह लाख उनसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **"घ"**)

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

शुक्रवार, 02 श्रावण, शक संवत्, 1931

(दिनांक : 24 जुलाई, 2009)

नत्थी ''क''

अल्पसूचित प्रश्न

कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' **. 03.07.2009	क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि किसानों हेतु जारी कृषि कार्ड (सीमा रू0 1.00 लाख से रू0 3.00 लाख तक) पर गत् पांच वर्ष से कोई स्टॉम्प ड्यूटी नहीं लगाई जा रही थी? क्या यह सत्य है कि विगत् अप्रैल, 2008 से किसान कार्ड पर पुनः स्टॉम्प ड्यूटी सरकार द्वारा वसूल की जा रही है? क्या यह सत्य है कि जनकल्याण योजना के कियान्वयन में निर्धन लाभार्थियों से शुल्क वसूला जा रहा है? क्या सरकार लोकहित में कृषि कार्ड पर वसूली जा रही स्टॉम्प ड्यूटी को समाप्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	वित्त

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' *1. न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त । गन्ना
15.06.2009

श्री गणेश जोशी
16.06.2009

*2. क्या आबकारी मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के शराब की दुकानों में सस्ते दामों में जो मदिरा बेची जा रही है वह बाहरी प्रदेशों की मदिरा है? क्या यह सत्य है कि सस्ते दामों में बेची जाने वाली शराब से कई लोगों की मृत्यु हुयी है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शराब की दुकानों की नियमित जांच की जाती है? यदि हां, तो एक माह में कितनी बार शराब के ठेकों की जांच की जाती है? क्या सरकार द्वारा इसके लिए कोई अलग से टीम गठित की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? आबकारी

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिघंल
19.06.2009

*3. क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में सहकारी एवं राजकीय चीनी मिलों में लाभ–हानि का विवरण क्या है? क्या यह सही है कि हानि की स्थिति चिन्ताजनक है? यदि हां, तो इस हानि को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या–क्या प्रयास किए गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों? गन्ना

श्री नारायण पाल
19.06.2009

*4. क्या शिक्षा मंत्री भिज्ञ हैं कि वर्ष 2007 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरष्कार चयन में मानकों का उल्लंघन कर योग्य शिक्षकों को इस परिधि से बाहर रख कर अन्य शिक्षकों के नाम शामिल किये गये थे? क्या संस्कृत के लिए जो अलग से नाम भेजे जाने थे वह भी नहीं भेजे गये? क्या यह सत्य है कि इस सम्पूर्ण प्रकरण पर जांचोपरान्त विभाग के कई अधिकारी दोषी पाये गये? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त सभी दोषियों के विरूद्व अब तक कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या? नहीं, तो क्यों? शिक्षा

श्री नारायण पाल
22.06.2009

*5. क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के उत्थान की दिशा में सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये है? वर्ष 2008–2009 के पेराई सत्र में चीनी मिलों की लाभ–हानि की स्थिति क्या रही? चीनी मिलों के उत्थान हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किये जा रहे है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? गन्ना

श्री गोपाल सिंह रावत
29.06.2009

*6. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2001 से लेकर दिसम्बर 2007 तक अपनी सेवायें दे चुके 1745 शिक्षा आचार्यो व अनुदेशकों को वर्ष 2008 में शिक्षा गारण्टी केन्द्र तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र बन्द किये जाने के साथ ही हटाये जाने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि फरवरी 2008 से संघर्षरत 1745 शिक्षा आचार्यों एवं अनुदेशकों को शिक्षामित्र पद पर समायोजित किये जाने के लिये क्या निर्णय लिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? **शिक्षा**

श्री सुरेन्द्र राकेश
29.06.2009

*7. क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलों के नियंत्रण हेतु कोई गवर्निंग बोर्ड गठित है? यदि नहीं, तो प्रदेश की सरकारी/सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता हैं? **गन्ना**

अतारांकित प्रश्न

श्री महेन्द्र सिंह माहरा
12.06.2009

1. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा 25 अगस्त, 2006 को धामंद्यो जनपद अल्मोड़ा में शहीद दिवस के अवसर पर जनपद चम्पावत में जूनियर हाई स्कूल चौड़ागॅूठ, खीड़ी, दशंलेख एवं जूनियर हाई स्कूल कजिना पूनौली का उच्चीकरण/पूर्व माध्यमिक विद्यालय मैरोली, पाटी का प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण/राजकीय इन्टर कालेज दिगालीचौड़ का भवन निर्माण एवं बाराकोट में कस्तूरबा गॉधी नवोदय विद्यालय की स्थापना हेतु घोषणायें की गयी थी? यदि हां, तो उक्त घोषणाओं में अब तक क्या प्रगति हुई है? यदि नहीं, तो क्यों? **शिक्षा**

श्री गणेश जोशी
15.06.2009

2. क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अवगत हैं कि राज्य गठन के उपरान्त प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है? क्या यह सत्य है कि इन रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार युवक/युवतियां पंजीकृत हैं? यदि हां, तो राज्य गठन के उपरान्त रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने बेरोजगार युवक/युवतियों को अब तक रोजगार उपलब्ध कराये गये? यदि नहीं, तो क्यों? **श्रम एवं सेवायोजन**

श्री गणेश जोशी 16.06.2009	**3.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2006 में नियमित बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी थी? यदि हां, तो उक्त प्रवेश परीक्षा वर्तमान समय तक सम्पन्न न कराये जाने के क्या कारण है? क्या सरकार रेगुलर बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा सम्पन्न कराये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्रीमती अमृता रावत 18.06.2009	**4.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008–09 की स्थानान्तरण नीति जारी होने से पूर्व प्रदेश में स्थानान्तरित प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकें की संख्या क्या है तथा तीन वर्ष से कम अवधि में स्थानान्तरित शिक्षकों की संख्या क्या है तथा किस नीति के आधार पर इन शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है?	**शिक्षा**
श्रीमती आशा नौटियाल 22.06.2009	**5.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत रा0उ0मा0 विद्यालय भणज, बाबई, बष्टी, त्रियुगीनारायण, कालीमठ का उच्चीकरण इण्टर स्तर पर तथा जूनियर हाईस्कूल भौंसाल, कुरक्षण, जलई, कन्या हा0 सतेराखाल, काईइ दशज्यूला, शेरसी का हाई स्तर पर उच्चीकरण की मांग स्थानीय जनता लम्बे समय से करती आ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र उक्त विद्यालयों के उच्चीकरण पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक उच्चीकरण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री गोपाल सिंह रावत 22.06.2009	**6.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के शिक्षा विभाग में वर्तमान समय में एल0टी0 विज्ञान गणित विषय के कुल कितने शिक्षक ऐसे हैं जिनका विषय संयोजन असंगत है? क्या सरकार ऐसे शिक्षकों की सभी स्रोतों से नियुक्ति को सम्मिलित करते हुए सूची उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री गोपाल सिंह रावत 22.06.2009	**7.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग में असंगत विषय संयोजन में छूट हेतु कब–कब शासनादेश जारी किये गये हैं? क्या सरकार उक्त विषयगत शासनादेश की प्रति उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 22.06.2009	**8.** क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड खानपुर में (सुदूर ग्रामीण अंचलों के युवाओं में खेल एवं संस्कृति के विकास हेतु) एक स्टेडियम निर्माण किया गया था, क्या यह सत्य है कि संसाधनों के अभाव में उक्त का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिस कारणवश देहात क्षेत्र के किशोर एवं युवा उसके लाभ से वंचित हो रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्टेडियम को विकसित कर, आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षक आदि की सुविधा उपलब्ध कराएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**खेल**

श्रीमती अमृता रावत
23.06.2009

9. क्या युवा कल्याण एवं खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत नवदीप चिल्ड्रन अकादमी, जूनियर हाई स्कूल कमेड़ी, सेडियाखाल में खेल मैदान के निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्रांक 633/विधायक/34–युवा कल्याण/2007–08 दिनांक 05.03.2008 तथा विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमारखाल में खेल मैदान का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 393/विधायक/34–युवा कल्याण/2008 दिनांक 21.12.2007 पर अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है? **युवा कल्याण**

श्री गोपाल सिंह रावत
23.06.2009

10. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में राजकीय जूनियर हाईस्कूलों में जनपदवार मानकानुसार कुल कितने प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं? रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों? **शिक्षा**

श्री गोपाल सिंह रावत
23.06.2009

11. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जनपदवार अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त चल रहे है तथा रिक्त पदों पर कब तक अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **शिक्षा**

श्री नारायण पाल
23.06.2009

12. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दुर्गम स्थानों में स्थित विद्यालयों में वांछित शिक्षकों की तैनाती के लिए बनाये गये नियमों व प्रकिया का कियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है? यदि हां, तो पिछले सत्र से अब तक जनपद वार कितने शिक्षकों को स्थानान्तरित किया गया? क्या स्थानान्तरित शिक्षक स्थानापन्न हैं? यदि हां, तो कितने? **शिक्षा**

श्री गोपाल सिंह रावत
24.06.2009

13. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय इण्टर कॉलेज मनेरी उत्तरकाशी शैक्षिक सत्र 2006–07 तक दुर्गम श्रेणी में था? यदि हां, तो मनेरी जलाशय के कारण विद्यालय परिसर में पाला, कोहरे व अत्यधिक शीत के कारण विद्यालय समय में परिवर्तन के आदेश किये गये थे? क्या सरकार उक्त कॉलेज को दुर्गम श्रेणी की सूची में पूर्व की भांति लाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **शिक्षा**

श्री गोपाल सिंह रावत
25.06.2009

14. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री जनपद उत्तरकाशी में वे कौन से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय इण्टरमीडिएट कॉलेज हैं जिनमें स्वीकृत पदों से कम अध्यापक तैनात है? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? **शिक्षा**

श्री गोपाल सिंह रावत 25.06.2009	**15.** क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में राजकीय तदर्थ शिक्षक महासंघ (शिक्षा बन्धु) विनियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग के लिये आन्दोलनरत हैं? क्या सरकार तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने पर विचार कर रही हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री नारायण पाल 26.06.2009	**16.** क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी हैं कि शिक्षा विभाग में बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालय भवनों के नव निर्माण, पुनः निर्माण व रख रखाव हेतु प्रत्येक विकास खण्डों में संविदा पर अवर अभियन्ता नियुक्त है? यदि हां, तो राज्य में इस समय शिक्षा विभाग में कुल कितने अवर अभियन्ता संविदा पर कार्यरत है? क्या शासन में इन शिक्षा विभाग में कार्यरत अवर अभियंताओं के निर्माण इकाई गठन कर इन्हें प्राथमिकता पूर्ण कालिक नियुक्ति देना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	**शिक्षा**
श्री ओम गोपाल रावत 29.06.2009	**17.** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मंत्रि मण्डलीय शिक्षा उपसमिति ने पत्राचार बी0टी0सी0 को राजकीय सेवाओं हेतु मान्य मानते हुए दिनांक 18.02.2009 को शासनादेश संख्या– 895/XXIV(1)/2006–38/2005 दिनांक 27 नवम्बर, 2006 के प्रस्तर 4 में अंकित पैरा हटाने की संस्तुति की है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत शासनादेश में संशोधन हेतु संस्तुति के अनुसार शासनादेश जारी कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक शासनादेश जारी किया जायेगा?	**शिक्षा**
श्री सुरेन्द्र राकेश 30.06.2009	**18.** क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी/सहकारी चीनी मिलों के चीनी की रिकवरी का प्रतिशत मिलवार तथा माहवार क्या रहा है? क्या सरकार विगत तीन वर्षो के चीनी मिलों के रिकवरी प्रतिशत का मिलवार मासिक विवरण सदन के पटल पर रखेंगी?	**गन्ना**
श्री सुरेन्द्र राकेश 30.06.2009	**19.** क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सहकारी व सरकारी चीनी मिलों का शीरे की रिकवरी का प्रतिशत क्या है? क्या सरकार विगत तीन वर्षो में शीरे की रिकवरी का प्रतिशत मिलवार मासिक विवरण सदन के पटल पर रखेंगे?	**गन्ना**

नत्थी 'ग'

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनांक 24 जुलाई, 2009 से दिनांक 25 जुलाई, 2009 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

दिनांक 24 जुलाई, 2009 (शुक्रवार)

अनुदान सं0	11	दिनांक 23 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान की मांग पर चर्चा (क्रमागत) और मतदान।	
	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	16	श्रम रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	05	निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान।	
	25	खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	08	आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग,चर्चा और मतदान।	
	26	पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	14	सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
	22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	

दिनांक 25 जुलाई, 2009 (शनिवार)

अनुदान सं0	01	विधान सभा की अनुदान पर मांग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	02	राज्यपाल की अनुदान पर मांग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	03	मंत्रि–परिषद की अनुदान पर मांग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–
	10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–
	21	उर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–
	23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग चर्चा और मतदान।	
	29	औद्यानिक एवं रेशम विभाग से सम्बंधित विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	–
		उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।	–

नत्थी 'घ'

वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः- 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास, 16 श्रम और रोजगार, 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन, 25 खाद्य, 08 आबकारी, 26 पर्यटन, 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, 14 सूचना, 22 लोक निर्माण कार्य

	प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
क-	1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 6. श्रीमती अमृता रावत, 7. श्री दिनेश अग्रवाल, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री रणजीत सिंह रावत, 10. श्री तिलक राज बेहड़, 11. श्री बलवीर सिंह नेगी, 12. श्री किशोर उपाध्याय, 13. श्री गोपाल सिंह राणा, 14. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 15. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
ख	1. काजी निजामुद्दीन, 2. चौ0 यशवीर सिंह, 3. मौ0 शहजाद, 4. श्री हरिदास, 5. श्री सुरेन्द्र राकेश, 6. हाजी तसलीम अहमद, 7. श्री प्रेमानन्द महाजन, 8. श्री नारायण पाल,	-तदैव-

सरकारी संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण, विचार एंव चर्चा :–

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड में निवास करने वाली राय सिख जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाये। **(15 मिनट)**

प्रस्ताव

काजी निजामुद्दीन द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एंव चर्चा :–

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि सरकारी एवं अर्धसरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर ब्राहमण वर्ग को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाये।''(**आधा घण्टा**)

1. **नियम–54 के अन्तर्गत सूचना**

" उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एंव अन्य पिछडा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तिलक राज बेहड़ एंव डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा। **(एक घण्टा)**

2. " टिहरी बांध निर्माण के कारण बॉध प्रभावित क्षेत्र के लिए पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा वर्तमान बजट में कोई प्रावधान न करके उपेक्षा किये जाने तथा उन योजनाओं को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, डा0 हरक सिह रावत, श्री रणजीत सिंह रावत तथा श्री केदार सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम –54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा। **(एक घण्टा)**

नत्थी 'ङ'

वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः- 05 निर्वाचन के अन्तर्गत

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
क- 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 6. श्रीमती अमृता रावत, 7. श्री दिनेश अग्रवाल, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री रणजीत सिंह रावत, 10. श्री तिलक राज बेहड़, 11. श्री बलवीर सिंह नेगी, 12. श्री किशोर उपाध्याय, 13. श्री गोपाल सिंह राणा, 14. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 15. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 16. श्री केदार सिंह रावत, 17. श्री राजेश जुवांठा, 18. श्री करन माहरा, 19. श्री मनोज तिवारी, 20. श्री मयूख महर,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
ख 1. मौ0 शहजाद, 2. श्री हरिदास, 3. श्री सुरेन्द्र राकेश, 4. हाजी तसलीम अहमद, 5. श्री प्रेमानन्द महाजन, 6. श्री नारायण पाल,	-तदैव-